POLICE COMMISSIONERATE

GAUTAM BUDH NAGAR

सराहनीय कार्य /प्रेस विज्ञप्ति - दिनाकं 15.04.2025

1.थाना सेक्टर-113 पुलिस द्वारा चोरी करने वाली महिला अभियुक्ता सहित 02 अभियुक्त गिरफ्तार।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक 15.04.2025 को थाना सेक्टर 113 नोएडा पुलिस द्वारा लोकल इंटेलिजेंस एवं गोपनीय सूचना के आधार पर कार्यवाही करते हुये मु0अ0स0 172/25 धारा 306 बीएनएस से संबंधित अभियुक्तों 1. नावेद पुत्र मुर्तजा 2. सपना पुत्री फागू मुंडा को ग्रीन बेल्ट सेक्टर-115 नोएडा से **गिरफ्तार** किया गया है। कब्जे से चोरी किये गये 1. पीली धातू की एक चेन 2. टूटी हुई अंगूठी पीली धातु और साथ में पीली धातु का एक फूल पत्ती नूमा 3. दो ईयर रिंग्स पीली धातु 4. एक चूड़ी पीली धातू 5. एक कंगन पीली धातु 6. कानों के टॉप्स पीली धातु 7. एक गले का हार पीली धातु बरामद की गयी है।

घटनाक्रम का विवरण-- अभियक्तो द्वारा बताया कि हम दोनो एक साथ रहते है तथा अभियुक्ता सपना ने बताया कि मै सिविटेक संप्रति सेक्टर 77 नोएडा में मेड की नौकरी करती थी, जिसके चलते मालकिन को मुझपर पूर्ण विश्वास था और मेरी मालकिन ऑफिस भी चली जाती थी तो पूरे घर की जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़ जाती थी। दिनांक 12.03.25 को मालकिन जब ऑफिस गई तो मैं घर की सफाई कर रही थी तब मैने देखा कि अलमारी की चाबियां बेड पर पडी है तो मैने चाबियां उठाकर अलमारियो में लगाकर देखा तो उन चाबियो में से एक चाबी से अलमारी खुल गयी, मैने सामान चेक किया तो देखा कि उसमे सोने के बहुत सारे गहने और कुछ पैसे रखे हुए है मेरे मन में लालच आ गया और मैं वे पैसे उठाकर अपने घर सोरखा आ गई जहां पर नावेद को सोने के बारे में बताया और पैसे दिए फिर मैने और नावेद ने योजना बनाई कि सारे गहने लेके यहां से भाग जाते है नावेद के कहने पर उसी दिन मैं वापस सोसायटी में गई जहां मैने जल्दी जल्दी में सारे गहने एक बैग में भर लिए ,जल्दबाजी में कुछ गहने वही गिर गए,घर आकर हमने उन गहनो को एक गुलाबी डब्बे में डालकर रात के समय ग्रीन बेल्ट सेक्टर 115 में मिट्टी में दबा दिया था और अपने गांव फतेहपुर चले गए थे, अब लगभग 1 महीना बाद वापस आए थे तो सोचा कि थोड़े थोड़े गहने सस्ते दामों में राहगीरों को बेच देंगे या गिरवी रखके पैसे लेकर फिर से कुछ दिनो के लिए यहां से चले जाएंगे परन्तु किसी ने हमारी बात पे विश्वास नहीं किया कि ये सोने के है इसलिए नहीं बेच पाए,चोरी के रूपयो के बारे में जानकारी करने पर बताया कि जो 20000 (बीस हजार) रुपए हमने चुराये थे वो रूपये गाँव आने जाने व रोजमर्रा के खर्चो में खर्च हो गए।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण--

1. नावेद पुत्र मुर्तजा निवासी मकान नंबर 16 मसवानी फतेहपुर थाना कोतवाली जिला फतेहपुर उम्र 25 वर्ष हाल पता किराये का मकान वाली गली सोरखा सेक्टर 115 नोएडा गौतमबुद्धनगर
2. सपना पुत्री फागू मुंडा निवासी ग्राम उलूडी जिला रांची झारखंड उम्र 23 वर्ष हाल पता किराये का मकान गली सोरखा सेक्टर 115 नोएडा गौतमबुद्धनगर

पंजीकृत अभियोग का विवरण--

1. मु0अ0स0 172/25 धारा 306,317(2) बीएनएस थाना सेक्टर-113 नोएडा

बरामदगी का विवरण--

1. पीली धातू की एक चेन
2. टूटी हुई अंगूठी पीली धातु और साथ में पीली धातु का एक फूल पत्ती नूमा
3. दो ईयर रिंग्स पीली धातु
4. एक चूड़ी पीली धातू
5. एक कंगन पीली धातु
6. कानों के टॉप्स पीली धातु
7. एक गले का हार पीली धातु

2. थाना सूरजपुर पुलिस द्वारा मुठभेड के दौरान फरार वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 03 मोबाइल फोन (चोरी/छीने हुए), 01 अवैध चाकू, चोरी की 01 मोटर साइकिल बरामद।

घटना एवं कार्यवाही का विवरण-- दिनांक **15.04.2025** को थाना सूरजपुर पुलिस द्वारा लोकल इंटेलिजेंस एवं गोपनीय सूचना के आधार पर कार्यवाही करते हुये मुठभेड के दौरान फरार वांछित अभियुक्त विपिन पुत्र विनोद को कैलाशपुर के पास कच्चे रास्ते से गिरफ्तार किया गया है। कब्जे से 03 मोबाइल फोन (चोरी/छीने हुए), 01 अवैध चाकू, चोरी की 01 मोटर साइकिल बरामद।

अभियुक्त विपिन द्वारा अपने अन्य साथियों अरमान उर्फ गब्बर व विशाल के साथ मिलकर नोएडा, एनसीआर व ग्रेटर नोएडा में चोरी, छिनैती की कई घटनाओं के अंजाम दिया गया था जिन्हे दिनांक 14.04.2025 को पुलिस मुठभेड के दौरान गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा चुकी है गिरफ्तार अभियुक्त मुठभेड के दौरान फरार हो गया था।

अभियुक्त का विवरण--

विपिन पुत्र विनोद निवासी रसूलपुर रिठोरी थाना चोला जिला बुलन्दशहर उम्र करीब 23 वर्ष

पंजीकृत अभियोग का विवरण--

मु0अ0सं0 215/2025 धारा 109/3(5)/317(5) बीएनएस व धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना सूरजपुर जनपद गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरण--

1. 03 मोबाइल फोन (चोरी/छीने हुए) अलग अलग कम्पनी के
2. 01 अवैध चाकू
3. 01 मोटर साइकिल घटना में प्रयुक्त चोरी की।

3. अपराध शाखा गौतमबुद्धनगर पुलिस द्वारा धोखाधडी करने वाला 25,000 रुपए का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार।

घटना का विवरण-- दिनांक 06.12.2023 को थाना सेक्टर-63 पर वादी गौरव व अन्य की तहरीर के आधार पर अभियुक्त सचिन भाटी पुत्र बीएस भाटी आदि 16 अभियुक्तगण द्वारा एक राय होकर वादी व वादी के साथियो को विश्वास मे लेकर जेवर एयरपोर्ट के पास जमीन दिखाकर धोखाधडी कर जमीन के फर्जी एवं कूटरचित दस्तावेज तैयार कर देना तथा बाद में न तो जमीन देना और न ही पैसे वापस करना तथा पैसे वापस मांगने पर जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 569/2023 धारा 420/406/467/468/471/120बी/506/34 भादवि बनाम सचिन भाटी आदि 16 अभियुक्तगण पंजीकृत किया गया था।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक 15.04.2025 को अपराध शाखा नोएडा पुलिस टीम द्वारा लोकल इंटेलिजेंस एवं गोपनीय सूचना के आधार पर कार्यवाही करते हुए उपरोक्त मुकदमा में वांछित अभियुक्त शाकीर पुत्र अख्तर को ग्राम भाईपुर की तरफ जाने वाले रास्ते पर यमुना एक्सप्रेस-वे अंडरपास से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु पुलिस उपायुक्त सेंट्रल नोएडा/अपराध, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर द्वारा 25 हजार रुपए का पुरस्कार घोषित किया गया था।

अपराध करने का तरीका--

अभियुक्त शाकीर द्वारा अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर जेवर एयरपोर्ट के पास जमीन दिखाकर वादी व उसके साथियों को विश्वास में लिया गया तथा धोखाधडी करते हुए फर्जी एवं कूटरचित दस्तावेज तैयार कर करोडों रूपयों की धोखाधडी की गयी। उक्त मुकदमें में नामजद एवं विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान प्रकाश में आए कुल 22 अभियुक्तगण के विरुद्ध अभी तक कार्रवाई की जा चुकी है।

अभियुक्त का विवरण--

शाकीर पुत्र अख्तर निवासी ग्राम महेंदीपुर थाना रबुपुरा, जिला गौतमबुद्धनगर (उम्र 26 वर्ष)

अभियोग का विवरण--

मु0अ0सं0 569/2023 धारा 420/406/467/468/471/120बी/506/34 भादवि थाना सेक्टर-63, नोएडा।